

बजट घोषणा वर्ष 2018-2019

क्र.सं	घोषणा बिन्दु	घोषणा
1.	22.0	आमजन की सुविधा के लिये परिवहन कार्यालयों की लाईसेंस एवं वाहन संबंधी सेवाओं के front office counter को, पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर, निजी क्षेत्र के माध्यम से संचालित किया जायेगा।
2.	22.01	Driving licence एवं vehicle registration संबंधी समस्त आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से paper-less किये जाने की घोषणा।
3.	23.0	अजमेर को छोड़कर शेष संभागीय मुख्यालयों एवं सात अन्य जिलों पाली, दौसा, सीकर, चित्तौड़गढ़, अलवर, झालावाड़ एवं डीडवाना-नागौर में fully automated driving track की निर्माण प्रक्रिया चालू हो गयी है। इसी क्रम में, बाकी रहे जिला परिवहन कार्यालयों में भी इस वर्ष fully automated driving tracks का निर्माण चालू करवाया जायेगा।
4.	25.0	सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्युदर में कमी लाने के लिये capacity building हेतु जयपुर में ' 10 करोड़ की लागत से 'राज्य स्तरीय सड़क प्रशिक्षण केन्द्र' की स्थापना की जायेगी।
5.	26.0	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में 80 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजनों को मुफ्त यात्रा सुविधा के साथ ही उनके एक attendant को 50 प्रतिशत की रियायती दर पर यात्रा सुविधा प्रदान करने की घोषणा।
6.	27.0	वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 92 अधिसूचित bus stands हैं, जिनमें 30 bus stands पर यात्रियों के लिए toilets की सुविधा नहीं है। इन जगहों पर भी आगामी वर्ष में बनवाया जाना प्रस्तावित है।
7.	111.0	मैं UPSC, RPSC एवं Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार में उपस्थिति हेतु प्रत्याशियों को की बस में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने की घोषणा करती हूँ।
8.	245.0	बजट वर्ष 2015-16 में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से IATO और RATO से मान्यता प्राप्त Tourist Operators की luxury बसों के लिये 12500 रुपये की अधिकतम सीमा तय कर देय "Monthly Special Road Tax" में 30.04.2018 तक छूट प्रदान की गई थी। इन वाहनों पर Monthly Special Road Tax की यह छूट दिनांक 30 जून, 2020 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।
9.	246.0	वर्तमान में हवाई अड्डों के अन्दर चलने वाली कम्पनियों की बसों Contract Carriage को मानकर Monthly Special Road Tax निर्धारित किया जाता है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन बसों पर Chassis की कीमत का 10 प्रतिशत अथवा Complete Bus की कीमत का 6 प्रतिशत lump Sum Tax का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है।

10.	247.0	वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से Amnesty Scheme-2018 के अन्तर्गत ऐसे वाहन जो अस्तित्व में नहीं हैं तथा नष्ट हो चुके हैं को Vehicle destruction का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर वाहन के नष्ट होने के बाद का कर तथा Penalty माफ किया जाना प्रस्तावित है। वाहन मालिक को बकाया राशि दिनांक 30.09.2018 तक जमा करवानी होगी, तथा इसके पश्चात् वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
11.	247.01	Amnesty Scheme-2018 के अन्तर्गत अन्य राज्यों में Registered Non-Transport Vehicles जो राजस्थान राज्य में उपयोग के लिये लाये गये हैं उन पर दिनांक 31.01.2018 तक के दैय One Time Tax पर ब्याज व शास्ति माफ किया जाना प्रस्तावित है।
12.	247.02	Amnesty Scheme-2018 के अन्तर्गत मोटर वाहनों पर दिनांक 31.03.2016 के बकाया कर को दिनांक 30.09.2018 तक जमा कराने पर इस पर देय Penalty को माफ किया जाना प्रस्तावित करती हूँ।
13.	248.0	16500 किलोग्राम से Gross Vehicle Weight अधिक तक वाहनों पर Lump Sum Tax की वर्तमान दर Articulated vehicle पर कीमत का 20 प्रतिशत तथा Non-Articulated vehicle पर कीमत का 11 प्रतिशत वैकल्पिक रूप से प्रभावी है। इन दरों में कमी करते हुये इन यानों पर Lump Sum Tax की दर कीमत का 10 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
14.	249.0	राज्य में LPG/CNG/Solar Energy से संचालित यात्री वाहनों पर देय Lump Sum Tax की राशि में 25 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।
15.	286.0	बयाना (भरतपुर) में Roadways बस स्टैण्ड का निर्माण करवाया जायेगा।
16.	287.0	राज्य सरकार द्वारा राजस्थान परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिमाह 45 करोड़ रुपये की राशि का सहयोग दिया जायेगा। उक्त राशि राज्य सरकार तथा राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से ऋण एवं अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी।